न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 31 / 2021 जीसीएमएस नं0:–2021 / 130

उनवान:–

1. रामप्रकाश
2. राजेन्द्र प्रसाद
   पुत्रगण लक्ष्मीनारायण जातिगण ब्राम्हण निवासीगण ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां
3. महादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री लज्जाराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल ग्राम नायला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान
4. भूदेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री चेतराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम बसई घीयाराम तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान
5. गुड्डी पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि श्री बनवारीलाल जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल ग्राम सुल्तानपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान
6. मीरा पत्नि मुन्नालाल
7. रविन्द्र कुमार
8. अमित शर्मा
9. अंकिता शर्मा पुत्री मुन्नालाल
   समस्त जातिगण ब्राम्हण निवासीगण ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर राजस्थान
10. रामा पुत्री मुन्नालाल पत्नि रामलखन जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
11. मंजू पुत्री मुन्नालाल पत्नि रामनरेश जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ हाल निवासी ग्राम नायला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर
12. अर्चना पुत्री मुन्नालाल पत्नि संदीप जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम ख्याली का बांस तहसील शमसाबाद जिला आगरा उ0प्र0

—————————————प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

बनाम

तहसीलदार मनियां वहैसियत लैण्ड होल्डर ------ अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी
अधीन धारा 129 भू–राजस्व
अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री योगेश शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

दिनांकः–23.06.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 437 रकवा 0.2150 है0 वाके ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां जिला धौलपुर के लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री सीताराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम मढाभाऊ खातेदार काश्तकार थे। लक्ष्मीनारायण का निधन हो चुका है। प्रार्थीगण लक्ष्मीनारायण के एकमात्र वारिस एंव उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 16.09.2020 को ख.नं. 437 वाके ग्राम मढाभाऊ की विधिवत् रूप से पडौसी एंव गांव वालों की मौजूदगी में पैमाईश तहसीलदार मनियां से करवाई थी। तथा मुस्तकिल निशानात कायम कराए थे, जो आज भी मौजूद है। वर्तमान में आवारा पशुओं की संख्या अधिक है। फसल में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मुताबिक पैमाईश पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा की जा सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 437 वाके ग्राम मढाभाऊ की पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश प्रार्थी के खर्चे पर करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार मनियां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मनियां के पत्र दिनांक 16.06.2025 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि आराजी ख.नं. 437 रकवा 0.2150 है0 वाके ग्राम मढाभाऊ पर लक्ष्मीनारायण पुत्र सीताराम हि0 पूर्ण जाति ब्राम्हण सा0देह खोतदार दर्ज है। खातेदार फौत हो चुका है। आराजी मौके पर खाली बताई है तथा दिनांक 16.09.2020 को पैमाईश किया जाना अवगत कराया है। पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी कराया जाना उचित बताया है।

रिपोर्ट तहसीलदार मनियां पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में पत्थरगढी के आदेश दिए जाने हेतु कथन किया।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)

वकील प्रार्थीगण को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर तहसीलदार मनियां को आराजी खसरा नम्बर 437 रकवा 0.2150 है0 वाके ग्राम मढाभाऊ तहसील मनियां की प्रार्थी के खर्चे पर नियमानुसार पत्थरगढी कराये जांने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार मनियां द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग संबधित थानाधिकारी से की जावे। उप पुलिस अधीक्षक मनियां को परवाना जारी हो कि वह तहसीलदार मनियां की मांग पर पत्थरगढी कराये जाने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु संबधित थानाधिकारी को पाबन्द करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर